

पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०

राज्यपाल से मिला इण्डियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का प्रतिनिधि मण्डल

लखनऊ: 14 नवम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक से आज इण्डियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का एक प्रतिनिधि मण्डल राजभवन में मिला। प्रतिनिधि मण्डल ने पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संसद द्वारा कानून बनाये जाने की अपनी प्रमुख मांग सहित अन्य मांगों से संबंधित राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन राज्यपाल को दिया। 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व वरिष्ठ पत्रकार तथा इण्डियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के० विक्रम राव ने किया। राज्यपाल ने ज्ञापन की सभी मांगों को गंभीरतापूर्वक सुना और सकारात्मक कार्यवाही व मदद का आश्वासन दिया।

अपने सम्बोधन में राज्यपाल श्री राम नाईक ने पत्रकारों की सुरक्षा और अन्य राज्यों में प्रदत्त सहूलियतों की जानकारी मांगी तथा पत्रकारों की मांग के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने की बात कही। राज्यपाल ने सुझाव दिया कि अलग से एक ज्ञापन में इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख करें कि राज्य सरकार के स्तर पर उनकी क्या मांगें हैं। उस मांग पत्र पर विचारोपरान्त वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा भी करेंगे।

इण्डियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के अध्यक्ष श्री विक्रम राव ने ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाया जाए जिससे पत्रकार निर्भय और निष्पक्षतापूर्वक अपना कार्य कर सकें। वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा ने अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 7 में बदलाव कर पत्रकारों पर हमले को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाना चाहिये। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के अध्यक्ष प्रांशु मिश्रा ने राज्यपाल को शाहजहाँपुर के पत्रकार जागेन्द्र सिंह के बारे में बताया, जिसकी पैरवी कोर्ट में इण्डियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के विधि सलाहकार मृदित माथुर ने की थी। पत्रकार श्री शिवशंकर गोस्वामी ने उल्लेख किया कि कई देशों में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हैं जिसके अंतर्गत पत्रकारों को कई सहूलियतें प्रदान की जाती हैं। पत्रकार शिव शरण सिंह ने कहा कि प्रदेश और राष्ट्र में इस कानून को लागू करवाने की सार्थक पहल करने में इण्डियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की मदद की जाये। प्रतिनिधि मण्डल की मांगों में पत्रकारों को पेंशन और जीवन बीमा दिये जाने की भी मांग शामिल है।

प्रतिनिधि मण्डल में श्री हसीब सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार श्री योगेश मिश्रा, श्री विनय रस्तोगी, श्री शिवशरण सिंह, श्री शिव शंकर गोस्वामी, उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के अध्यक्ष श्री प्रांशु मिश्रा, इण्डियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के विधि सलाहकार श्री मृदित माथुर, सचिव (उत्तर) श्री संतोष चतुर्वेदी, पत्रकार अजय श्रीवास्तव, श्री रजत मिश्र और श्री सुशील अवस्थी भी शामिल रहे।

अंजुम/ललित/राजभवन (425/12)

